न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 7/23
आरसीएमएस नं0 2023/7
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

1. संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण मोहन यादव निवासी वार्ड नं. 1, नजदीक एल.वी. स्कूल संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. विद्या देवी पत्नी कृष्ण मोहन यादव निवासी वार्ड नं. 01, नजदीक एल. वी. स्कूल संगरिया जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. बुधराम पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवीस बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–असल रेस्पोडेण्ट

2. सुरेश कुमार पुत्र श्री गीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया
3. तरसेम चंद पुत्र श्री गीताराम जाति ब्राहमण निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. प्रेमचंद पुत्र तरसेम चंद जाति ब्राहमण निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2022

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, संगरिया

प्रकरण संख्या 53/2021

बअनवानी बुधराम बनाम सुरेश कुमार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री शिवराज सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो सं0 1

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांकः– 05.04.23

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट की आराजी में आवागमन हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा चक 7 एएमपी के पत्थर नम्बर 159/153 मुरब्बा नंबर 39 के किला नं. 1 व 10 में से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा रास्ते में आई भूमि के बदले में डीएलसी रेट से दोगुना या भूमि के बदले भूमि देने बाबत कथनों के साथ प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसमें हम अपीलाण्टान द्वारा रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि देने पर सहमति दी गई, परन्तु डीएलसी रेट में राशि अदा करने बाबत असहमति दी गई, जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। रेस्पोडण्ट सं0 1 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र की मद सं0 4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि प्रार्थी के रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि देने हेतु तैयार है व सहमत है परन्तु रेस्पोडेण्ट सं0 1 के एडमिशन से बाहर जाकर विचारण न्यायालय द्वारा डीएलसी से दोगुना प्रतिकर राशि अदा करने के आदेश पारित किया है जबकि कानूनन अगर व्यक्ति आपसी सहमति से रास्ते में आई भूमि के मुआवजा स्वरूप भूमि देना चाहता है तो उसे भूमि ही उचित प्रतिकर है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की और ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट लघु काश्तकार है तथा रास्ते में बतौर गैर मुमकिन भूमि आने से अपीलाण्टान के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आधिपत्य व धारण की काबिल काश्त आराजी कम हो जायेगी तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में अपीलाण्टान की आराजी के दो टुकड़े हो जायेंगे परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है। रास्ता स्वीकृत करने से अपीलाण्टान की सिंचाई हेतु आड़ चल रही है जिससे अपीलाण्ट की सिंचाई व्यवस्था बाधित हो जायेगी। रेस्पोडेण्ट स्वयं ने भूमि के बदले में भूमि दिये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। रेस्पोडेण्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में प्रश्नगत रास्ता चालू करवाना चाहता है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.12.2019 पेज 738 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते में आई भूमि के बदले में डीएलसी दर से दोगुनी राशि दिये जाने के आदेश दिये हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में चक 7 एएमपी के पत्थर नम्बर 159/153 मुरब्बा नंबर 39 के किला नं. 1 व 10 में से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा, तथा रास्ते में आई भूमि के बदले में डीएलसी रेट से दोगुना या भूमि के बदले भूमि देने बाबत कथनों के साथ प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ते में आई भूमि के बदले में डीएलसी दर की दो गुणा राशि दिये जाने के आदेश पारित किये है। कानूनन अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना–पत्र में यह सहमति लेकर आता है कि रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार है तो उसे भूमि ही उचित प्रतिकर है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की और ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट लघु काश्तकार है तथा रास्ते में बतौर गैर मुमकिन भूमि जाने से अपीलाण्टान आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कम हो जायेगी तथा आराजी के दो टुकड़े हो जायेंगे, रास्ता स्वीकृत करने से अपीलाण्टान की सिंचाई हेतु आड़ चल रही है, जिससे अपीलाण्ट की सिंचाई व्यवस्था बाधित हो जायेगी। परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोडेण्ट सं0 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि दिये जाने के तथ्य अंकित किये हैं के संबंध में विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे साथ ही अपीलाण्ट लघु काश्तकार है तथा रास्ते में बतौर गैर मुमकिन भूमि जाने से अपीलाण्टान आराजी कम हो जायेगी तथा आराजी के दो टुकड़े हो जायेंगे, रास्ता स्वीकृत करने से अपीलाण्टान की सिंचाई हेतु आड़ चल रही है, जिससे उसकी सिंचाई बाधित होगी। इस संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.4.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 5/4/23

(करतार सिंह पुनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ (राज.)